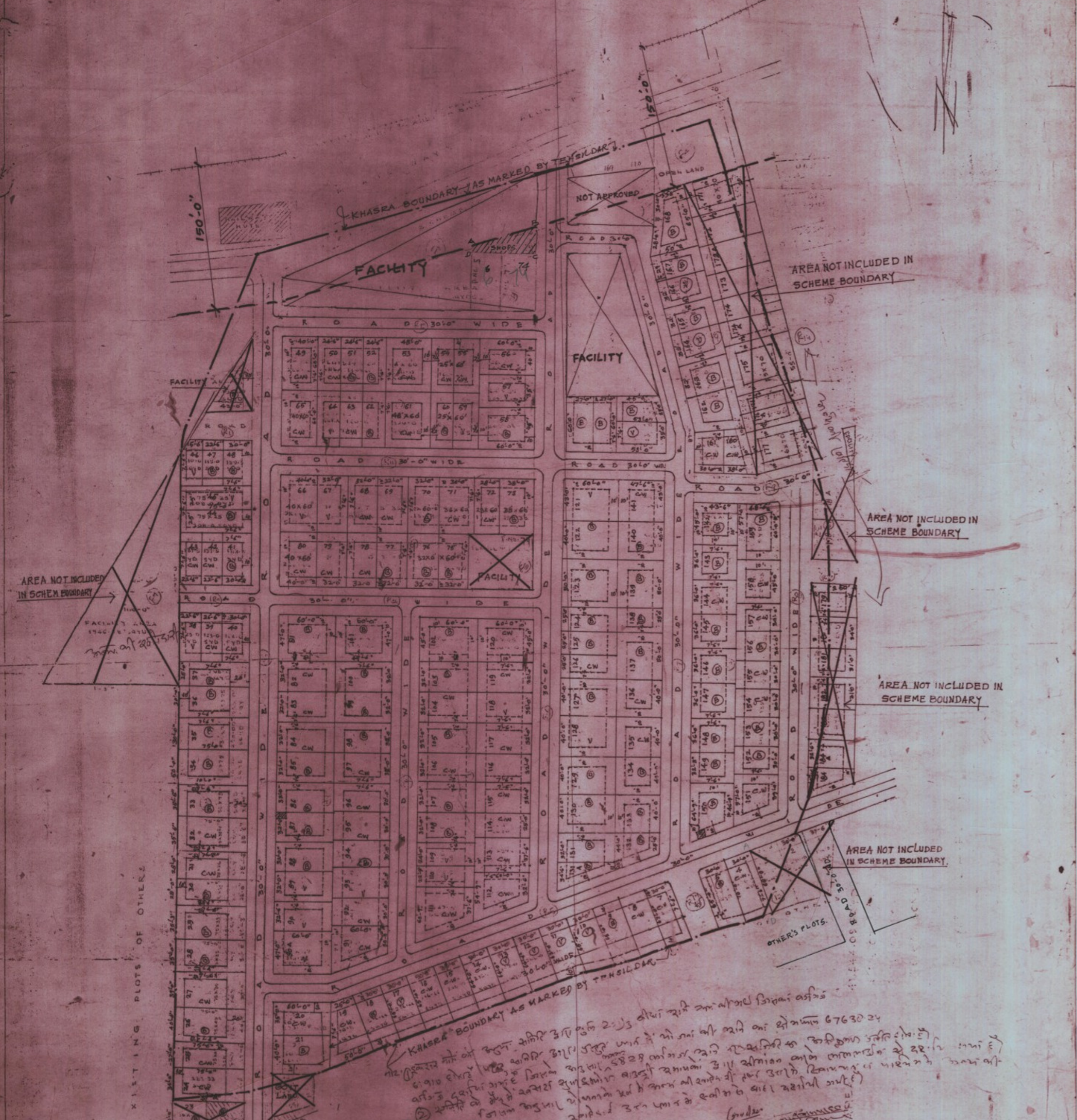

REVISED LAY OUT PLAN OF "VRANDAVAN" OF SHLPACHARYA VISHIVAKARMA GRAH NIRMAN SAHKARI SAMITI LTD AT KALWAR ROAD JHOTWARA JAIPUR Sect 15.

योजना की सीमा का राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर सत्यापन मेरे द्वारा किया गया।

तहसीलदार

बी·पी·सी(II) सी·पी·सी 17/94 दिं.1·7·94 के निर्णय अनुसार संशोधित मानचित्र की प्रति अनुमोदन, संशोधन सहित।

उप नगर नियोजक
जोन III

योजना की भूमि के स्वामित्व की जाँच सत्यापन मेरे द्वारा किया गया।

..12/94

प्रभारी अधिकारी

वरिष्ठ नगर नियोजक के पत्रांक S.T.P.C-P/D97 दिं.1·7·94 की प्रेषित मानचित्र की प्राप्ति।

बी·पी·सी·B के सदस्यों द्वारा दिं 30/6/94 को मौका निरीक्षण किया गया।

नोट:-

1. (B) से अंकित भूखण्डों पर दि.27·6·94 के सर्वे अनुसार निर्माण आंशिक/पूर्ण किया हुआ है।
2. कोने के भूखण्डों में कोने के 15'-0" RADIUS का क्षेत्रफल 5.36 व.ग. घटाया जाना होगा।
3. ▨ अंकित भूखण्डों पर दुकान निर्मित है।

बी·पी·सी· द्वितीय (बी·पी·सी·) की बैठक सं.43/2000 दि. 2-5-2000 में भूखण्ड सं. 170 से 177 को पूर्व में अनुमोदित योजना में स्वीकृत नहीं किये गये थे के बारे में निर्णय लिया गया कि इनका 160 फीट चौड़ी रोड में आने वाला भाग छोड़ भूखण्डों के शेष भाग को अनुमोदित कर दिया जावे। भूखण्ड सं. 178 (सड़क के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोड़कर) एवं भूखण्ड सं 179 से 184 जिनका कुछ भाग योजना की सीमा के बाहर है परन्तु मौके पर इन सभी भूखण्डों से निर्माण हो चुका है तथा इन भूखण्डों के पीछे लगते हुये दूसरी योजना के भूखण्डों पर निर्माण किया हुआ है। मौके की स्थिति को देखते हुये इन भूखण्डों को योजना का भाग मानते हुये अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

सहायक नगर नियोजक (सहकारी समिति)
ज· वि· प्रा· जयपुर

AREA ANALYSIS

S.NO.	USE	AREA IN SQYDS.	PERCENTAGE.
1.	RESISDENTIAL.	36181·34 SQ.Y.	61·52%
2.	ROADS.	16685·04 " "	28·37%.
3.	FACILITY.	5939·92 " "	10·11%.
		58806·30 " "	100%.

भवन मानचित्र समिति - द्वितीय (कॉलोनीज) की बैठक सं. 28/2001 दिनांक 6 व 8-10-2001 के निर्णय अनुसार

1. भूखण्ड संख्या 1 रोड में है अतः अस्वीकृत किया गया।
2. भूखण्ड सं. 2 और 3 का वह भाग अनुमोदित किया गया जो कि 30 फिट चौड़ी रोड को छोड़ने के बाद बचता है।
3. भूखण्ड सं. 169 अस्वीकृत किया गया।
4. भूखण्ड सं. 6 व 74 के दक्षिण में रेलवे लाइन के मध्य से 150 फिट की दूरी छोड़ने के पश्चात जो भू पट्टी बचती है उसमें जयपुर विकास प्राधिकरण की दुकानों की योजना बनाकर तत्काल नीलामी की जावे। जैसा कि ABCD पर दर्शाया गया।

सहायक नगर नियोजक (कॉलोनीज)